न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 500–दो/12 विरूद्ध आदेश, दिनाक 14–2–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लौडी के प्रकरण कमांक 103/अपील/10–11.

राजेन्द्र कुमार तनय कृष्णबिहारी ब्राम्हण
निवासी कस्बा लवकुशनगर, तहसील लवकुशनगर
जिला छतरपुर म0 प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

1 धर्मेन्द्र कुमार तनय मइयादीन सेन
निवासी कंठी मुहाल लवकुशनगर
तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0 प्र0
2 रामदास तनय हल्कू नाई
निवासी थाना बजीरगंज नई दिल्ली
3 शासन म0 प्र0

......अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 सी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/02/2016 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 500–दो/12 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, लौडी के प्रकरण कमांक 103/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 14–2–2012 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है :–

निगराकार राजेन्द्र के पक्ष में तहसीलदार लौडी, जिला छतरपुर द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण कमांक 28 / अ–6 / 10–11 में दिनांक 17–3–11 को मौजा रतनपारा स्थित आराजी नंबर 231 / 2, रकबा 1.214 हैक्टेयर (वाद भूमि) के भूमिस्वामी छेदालाल की निगराकार राजेन्द्र के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 27–3–05, छेदालाल की मृत्यु लाऔलाद होने संबंधी ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा एवं छेदालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, निगराकार राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर, वाद भूमि का धारा 109, 110 के तहत निगराकार राजेन्द्र के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया ।

तदुपरान्त तहसीलदार के समक्ष छेदालाल नामक व्यक्ति ने निगराकार राजेन्द्र को अनावेदक बनाते हुए एक आवेदन पेश किया जिससे तहसीलदार ने उनका प्रकरण कमांक 1629 / बी–121 / 10–11 दिनांक 13–5–11 को प्रारंभ किया । इस आवेदन में इस छेदालाल नामक व्यक्ति ने कहा कि वे गत 34 वर्ष से दिवली में है, वे ही वाद भूमि के भूमिस्वामी हैं, वे जीवित हैं, तथा निगराकार राजेन्द्र द्वारा दिनांक 17–3–11 के आदेश से नामांतरण फर्जी वसीयतनामे के आंधार पर करा लिया गया है, जिसे निरस्त किया जाए । ये आवेदन छेदालाल ने म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता(संहिता) की धारा 32 एवं 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया । इस आवेदन पर निगराकार राजेन्द्र की ओर से दिनांक 5–5–11 को तहसीलदार के समक्ष आपत्ती जवाब पेश हुआ, तथा दिनांक 9–5–11 को तहसीलदार ने उभयपक्ष के तर्क सुनकर दिनांक 16–5–11 को अपना आदेश पारित कर वाद भूमि पर पुनः छेदालाल का नाम दर्ज किये जाने का निर्णय लिया और पूर्व के नामांतरण आदेश दिनांक 17–3–11 को त्रुटिपूर्ण होना लेख करते हुए उसे निरस्त कर दिया । इस आदेश में तहसीलदार ने यह भी लिखा कि आवेदक छेदालाल के बताए अनुसार उन्हें दिल्ली में 'रामदास' (गैर निगराकार कमांक 2) के नाम से तथा गांव में छेदालाल के नाम से जाना जाता है ।

तहसीलदार के इस आदेश दिनांक 16–5–11 के विरूद्ध निगराकार राजेन्द्र ने अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के समक्ष दिनांक 18–5–11 को

अपील की, जिसमें उन्होंने यह बिन्दु उठाए कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16—5—11 बगैर वरिष्ठ न्यायालय से धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति लिए, बिना अभिलेखीय साक्ष्य पर विचार किए, तथा रामदास नामक व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल छेदालाल मानते हुए पारित कर दिया है, अतः वह निरस्ती योग्य है । इस पर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण कमांक 103/अपील/10—11 प्रचलित हुआ ।

इस प्रकरण में आगे चलकर दिनांक 4—7—11 को निगराकार राजेन्द्र ने आदेश 13 नियम 10 सीपीसी के अधीन एक आवेदन पेश किया । इस आवेदन में उन्होंने लिखा कि रामदास नामक व्यक्ति द्वारा छेदालाल बनकर गैर निगराकार कमांक 1 धर्मेन्द्र के पक्ष में एक मुख्तयारनामा दिनांक 19—5—11 पेश किया गया है, तथा गैर निगराकार कमांक 1 धर्मेन्द्र की मां राधा देवी के पक्ष में वसीयत दिनांक 19—5—11 पेश की गई है, जो उप पंजीयक लवकुशनगर द्वारा पंजीयत हैं, जिनकी प्रति प्राप्त करने के लिये निगराकार राजेन्द्र ने उप पंजीयक को दिनांक 25—5—11 को एक आवेदन किया था किन्तु जिसकी प्रति उप पंजीयक ने उन्हें नहीं दी, तथा ये दोनों दस्तावेज फर्जी और बनावटी होने के कारण उप पंजीयक कार्यालय से उनका रिकार्ड न्यायहित में तलब किया जाना आवश्यक है जिसके लिये निगराकार राजेन्द्र तलवाना शुल्क अदा करने को तैयार हैं ।

राजस्व मण्डल के समक्ष की इस निगरानी में आक्षेपित आदेश दिनांक 14—2—12 से अनुविभागीय अधिकारी ने निगराकार राजेन्द्र द्वारा आदेश 13 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया है ।

3/ प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख बुलाए गए तथा उभयपक्ष को तर्क हेतु अवसर दिया गया । निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी मेमों एवं गैर निगराकार अधिवक्ता ने लिखित तर्क को विचार में लेते हुए निर्णय लिए जाने का निवेदन किया ।

मैने निगरानी मेमों, लिखित तर्क एवं समस्त उपलब्ध अभिलेख का बारीकी से अध्ययन कर प्रकरण पर गंभीरता से विचार किया । ऐसा करने पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से टीप योग्य पाता हूँ :—

(1) तहसीलदार लौंडी द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण कमांक 28/अ—6/10—11 में पारित आदेश दिनांक 17—3—11 पर उन्ही के न्यायालय के अन्य प्रकरण कमांक 1629/बी—121/10—11 में पुनर्विचार कर अपने पुराने आदेश दिनांक 17—3—11 को स्वंय निरस्त कर नया आदेश दिनांक 13—5—11 पारित करने के पूर्व अपने से वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्विलोकन हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई, जबकि छेदालाल नामक व्यक्ति के प्रकरण कमांक 1629/बी—121/10—11 में अवस्थित आवेदन संहिता की धारा 32 एवं 51 के तहत प्रस्तुत हुआ होना लिखा है, तथा धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति तहसीलदार को अपने वरिष्ठ न्यायालय से प्राप्त की जानी होती है । इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी को अपने अपील प्रकरण में विवेचना कर निष्कर्ष निकालना शेष है, अतः राजस्व मण्डल फिल्हाल इस बिन्दु पर इस प्रकरण में अभिमत देना आवश्यक एवं उपयुक्त नहीं समझता ।

(2) निगरानी मेमों के पद 12 एवं 13 में निगरानी के आधार यह लिखे गये हैं कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 8—6—11 को तहसील का अभिलेख प्राप्त हो जाने तक के लिये स्थगनादेश जारी किया था, गैर निगराकार कमांक 1 धर्मेन्द्र एवं छेदालाल के कोई संबंध नहीं हैं । इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 19—5—11 को निष्पादित मुख्तयारनामा और वसीयतनामा तलब 'करने में' कानूनी भूल की है ।

इसके आगे निगरानी मेमो के पद 14 में निगरानी का आधार यह लिखा गया है कि दिनांक 19—5—11 के इन अभिलेखों को तलब किया जाना न्यायसंगत था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 14—2—12 से तलब 'नहीं करने में' कानूनी भूल की है ।

निगराकार अधिवक्ता 2 पदों में इन अभिलेखों का तलब किया जाना कानूनी भूल बता रहे हैं, और इनके अगले पद में इनका तलब 'नहीं' किया जाना कानूनी भूल बता रहे हैं, और दोनों बातों के कारण भी बता रहे हैं । इससे यह स्पष्ट है कि निगराकार के अधिवक्ता ने अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश का ठीक से अध्ययन नहीं किया है, उन्होंने प्रकरण में अपने पक्षकार के हितों को लेकर गंभीरता नहीं बरती है और लापरवाही बरती है, जिससे ना केवल उनके पक्षकार के हित

प्रतिकूल रूप से अनावश्यक तौर पर प्रभांवित होने सम्भावित हुए हैं बल्कि इस न्यायालय का कीमती समय भी व्यर्थ हुआ है । तर्क के मौके पर भी निगराकार के अधिवक्ता ने ना मौखिक ना लिखित तर्क प्रस्तुत किये, और ऐसे त्रुटियुक्त निगरानी मेमों के आधार पर निवेदन कर दिया, जिससे न्याय की हानि होनी संभावित हुई । यह न्यायालय इसके प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करता है, एवं न्यायहित में अभिलेख के आधार पर निगरानी मेमों में सही लिखे बिन्दुओं को विचार में लेकर ही निर्णय ले रहा है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांक 14–2–12 के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने दिनांक 19–5–11 के इन दो अभिलेखों को आहूत नहीं करने का निर्णय अभिलिखित किया है । अपने न्यायालय की इस दिनांक की आदेश पत्रिका में अनुविभागीय अधिकारी ने अंतिम पैरा के पूर्व तक संबंधित तथ्यों का विवरण दिया है, तथा निर्णय के अंतिम पैरा में बगैर कोई विवेचना किए एवं कारण या आधार अभिलिखित किए संक्षेप में यह निष्कर्ष लिख दिया है कि धारा 13 नियम 10 सीपीसी का आवेदन संद्भावना पूर्ण न होने से अस्वीकार किया जाता है । उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि उनको यह आवेदन सद्भावना–पूर्ण क्यों नहीं लगा । ना ही उन्होंने निगराकार द्वारा संबंधित आवेदन में उठाए गए इस बिन्दु की विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है कि इन दस्तावेजों को तलब किया जाना न्यायहित में महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, जबकि निगराकार संबंधित आवेदन में उन्हें (इन दस्तावेजों को) फर्जी एवं बनावटी होना और न्यायहित में उनकी तलबी आवश्यक होना बताता है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की अपील में मुख्य विचार के बिन्दु इस पैरा–3 के सब पैरा (1) में लिखा बिन्दु तथा अपील में उठाए गए विभिन्न बिन्दु हैं । आक्षेपित आदेश दिनांक 14–2–12 द्वारा पारित दिनांक 19–5–11 के दो दस्तावेज तलब किए जाने संबंधी निर्णय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष के प्रकरण का एक अंतरिम निर्णय है । इस बात से बगैर विवेचना के इंकार नहीं किया जा सकता कि इस अंतरिम निर्णय का प्रभाव अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के अंतिम निर्णय पर भी पड़ सकता है । इस निर्णय दिनांक 14–2–12 का प्रभाव उनके (अनुविभागीय अधिकारी के) प्रकरण के अंतिम निर्णय पर पड़ेगा या नहीं, और ऐसे (अंतिम निर्णय पर पड़ने या नहीं

पड़ने वाले) प्रभाव के पड़ने या नहीं पड़ने के कारण एवं आधार क्या होंगे, इस संबंध में भी अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 14–2–12 में किसी विवेचना या निष्कर्ष करके कोई खुलासा नहीं किया है ।

4/ उपरोक्त समस्त बिन्दुओं एवं विवेचना के प्रकाश में मैं अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 14–2–12 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और निरस्त करता हूँ।

साथ ही अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश देता हूँ कि वे इस आदेश के पूर्ववर्ती भाग में मेरे द्वारा बताए जा चुके विभिन्न बिन्दुओं के (विशेषकर इस आदेश के पैरा–3 (2) एवं (4) में लिखे गए बिन्दुओं को) प्रकाश में निगराकार द्वारा उनके न्यायालय में प्रस्तुत आदेश 13 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत विषयांकित आवेदन के निराकरण के संबंध में, नए सिरे से सुस्पष्ट विवेचना, कारण एवं आधार अभिलिखित करते हुए, बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें। ऐसा नवीन आदेश, अनुविभागीय अधिकारी उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर, अनिवार्यतः पारित करें ।

निगरानी स्वीकार करते हुए आदेश पारित ।

पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापस हो ।

प्रकरण समाप्त। दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर